सत्य मार्ग की खोज, सीरीज़-33

पर्यावरण संकट और उसका समाधान

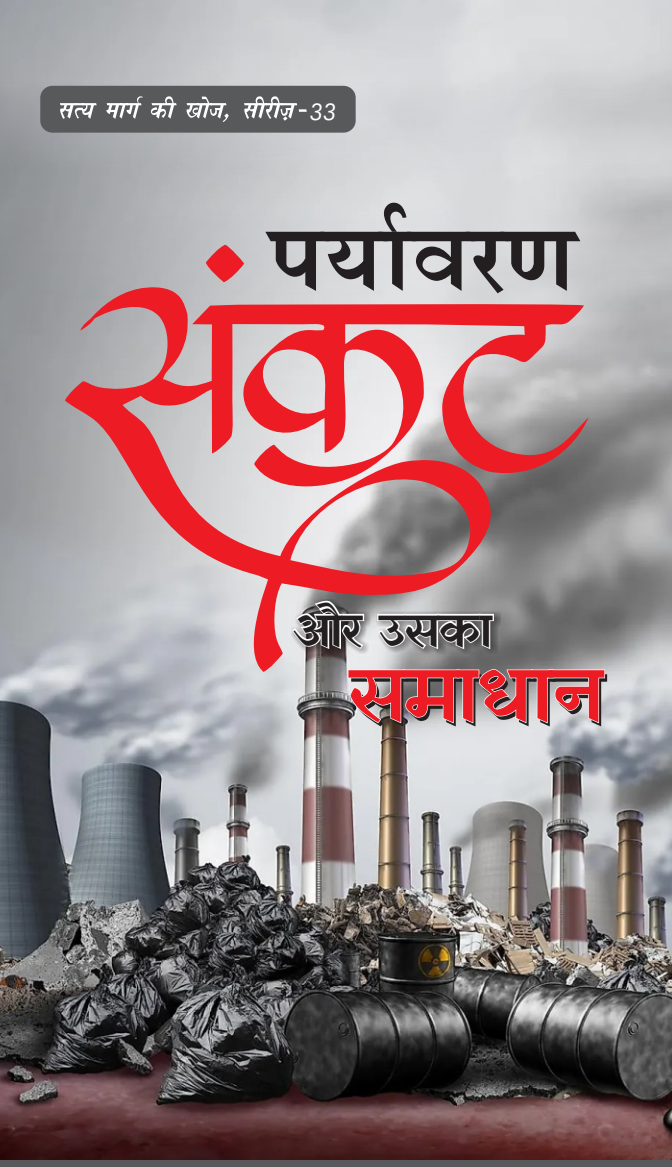

जमाअत इस्लामी हिन्द

दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्क्लेव, नई दिल्ली-110025

9650022638

www.islamsabkeliye.com

www.facebook.com/islamsabkeliyeofficial

पर्यावरण संकट
और उसका समाधान

यह विशाल, अद्भुत और अत्यंत आकर्षक संसार जिसमें हम रहते हैं, इसे ईश्वर ने पूर्णरूप से इंसानों के लिए सुसज्जित किया है। जीवित रहने के लिए हमें सांस लेना है इसके लिए उसने ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की है। जल बग़ैर जीवन संभव नहीं इसलिए उसने पृथ्वी का दो-तिहाई भाग पानी से भर दिया है और फ़िर उसके वितरण की आश्चर्यजनक व्यवस्था भी की है। भोजन के लिए असीमित वनस्पति और पशु-पक्षी सरलता से उपलब्ध करा दिए हैं। सूर्य चमकता है हमें प्रकाश और ऊर्जा देने के लिए, वर्षा होती है हरियाली बिखेरने के लिए और हवाएं चलती हैं वातावरण को हमारे लिए उपयुक्त और अनुकूल बनाए रखने के लिए। इस अति-सूक्ष्म परन्तु जटिल समन्वय और संतुलन का अपनी यथास्थिति पर बने रहना इस धरती पर मानव जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यावश्यक और अनिवार्य है।

परन्तु आज यह संतुलन बिगड़कर विनाशकारी रूप धारण कर चुका है और जो सुविधाएँ मानव जीवन को सुखमय और सरल बनाने के लिए रचित की गईं थीं, पिछले कई दशकों से वही उसके अस्तित्व के लिए ख़तरा बनती जा रही हैं। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, वन रिक्तिकरण (forest depletion), जैव-विविधता (bio-diversity) में परिवर्तन, जल संकट, प्रदूषित वातावरण और बीमारियों का फैलता हुआ जाल आदि कुछ बड़े-बड़े संकट हैं जो एक दानव की भांति पूरी मानवता को निगल जाना चाहते हैं।

यह संकट क्यों उत्पन्न हुआ?

पर्यावरण का यह संकट कोई एक दिन या दो-चार वर्षों की उत्पत्ति नहीं है बल्कि पिछले कई दशकों का संचित प्रभाव है जो मानवता को तबाही के कगार पर ले आया है। अनियंत्रित औद्योगीकरण, असीमित शहरीकरण, कीट-नाशकों और अन्य रसायनों का बढ़ता उपयोग, परिवहन वाहनों की बहुलता, आर्थिक असमानता आदि कुछ मुख्य कारण हैं जिनको पर्यावरण विशेषज्ञ इस भयानक संकट का दोषी मानते हैं और जिनपर नियंत्रण का प्रयत्न किया जा रहा है।

मानव जीवन को अनगिनत सुख-सुविधाएं प्रदान करने वाले बड़े-बड़े उद्योग अब उसी मानव के लिए अभिशाप का रूप धारण कर चुके हैं। उनसे निकलने वाला अत्यंत ज़हरीला धुआं जहाँ एक ओर वातावरण को दूषित कर अनेक बीमारियों को जन्म दे रहा है, वहीँ दूसरी ओर इन उद्योगों से निकलने वाला कचरा-युक्त तरल अपशिष्ट (waste) भूमि-जल, नदियों, नालों और समुद्रों को प्रदूषित कर जीवन को संकट में डाल रहा है। विश्व स्तर

पर औसत तापमान में तेज़ी से वृद्धि हुई है जिससे जलवायु में भयानक परिवर्तन हुआ है और बड़े-बड़े ग्लेशियर पिघल कर समुद्र की सतह बढ़ने का कारण बन रहे हैं। यह सतह प्रति वर्ष औसतन 3.2 मिमी बढ़ रही है और ख़तरा है कि 2050 तक यह 30 सेमी तक बढ़ जाएगी। दूसरी ओर विश्व में अनुमानतः 100 करोड़ लोग पीने के साफ़ पानी से वंचित हैं और इनकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। गंगा, यमुना और अन्य नदियाँ हमारी आँखों के सामने सूखती जा रही हैं और देश के कई क्षेत्रों में पेयजल का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।

तेज़ी से बढ़ता शहरीकरण न सिर्फ़ संसाधनों के अपव्यय का कारण बना है, बल्कि इसके प्रभाव से खेतों और जंगलों का सफ़ाया भी हो रहा है। शहरों से निकलने वाले लाखों टन कचरे को निपटाने की समस्या का कोई उचित समाधान नहीं है अपितु यह बीमारियों का सबसे बड़ा स्रोत बनता जा रहा है। शहरीकरण का ही दुष्प्रभाव है कि आज हर तरफ परिवहन वाहनों की भरमार है। इनसे निकलने वाले धुएं ने शहरी वातावरण में सांस लेना मुश्किल कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली इसका जीवित उदाहरण है जहाँ AQI (Air Quality Index) 0-500 के पैमाने पर 500 से भी अधिक चला जाता है और जिसे अब गैस-चैम्बर की संज्ञा दी जाने लगी है। विश्व स्वास्थ संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण प्रति वर्ष 40-50 लाख लोगों की मृत्यु का कारण बनता है।

विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife Fund) की एक रिपोर्ट के अनुसार 500 से अधिक जानवरों के वंश विलुप्त होने की कगार पर हैं और पिछले पचास वर्षों में स्तनधारी (mammals), मछली, पक्षी, सरीसृप (reptiles) और उभयचर (amphibians) की संख्या में 68% तक कमी आ गई है।

कृषि में कीट-नाशक एवं अन्य रसायनों के अत्यधिक उपयोग ने खान-पान को ज़हर-युक्त कर मानव स्वास्थ पर ऐसा घातक प्रभाव डाला है कि आज कोई भी व्यक्ति बीमारियों से बचा हुआ नहीं है। खेती अब पूरी तरह रसायनों पर आश्रित हो गई है और इस दुश्चक्र से निकलना लगभग असंभव हो गया है।

पर्यावरण का यह संकट कितना गंभीर रूप धारण कर चुका है इसका अनुमान 2009 में कोपेनहेगेन (Copenhagen) में दिए गए प्रिंस चार्ल्स (वर्तमान महाराजा) के वक्तव्य से आसानी से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा था, "मानव जाति का भविष्य तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब हम प्रकृति के हिस्से के रूप में जीने की कला सीख लें, न कि उससे अलग। गंभीर वास्तविकता यह है कि हमारा ग्रह संकट उस बिंदु तक पहुंच गया है कि हमारे पास इसे नियंत्रण में लाने के लिए मात्र सात वर्ष बचे हैं।"

अब तक किए गए प्रयत्न

ऐसा नहीं है कि इस विनाश से बचने और इसे नियंत्रित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। देश-विदेश की सरकारें, निजी संगठन यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र, सभी इस संकट को लेकर चिंतित हैं और सर जोड़कर इससे निपटने के उपाय खोजने के लिए प्रयत्नशील हैं।

- 1972 में स्टॉकहोल्म (Stockholm) में संयुक्त राष्ट्र का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ ५ जून को प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया।
- 1979 में जिनेवा (Geneva) में प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन (WCC-1) का आयोजन हुआ।
- Inter-Governmental Panel on Climate Change (IPCC) का गठन किया गया।
- 1995 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों का आरंभ हुआ जो COP के नाम से प्रसिद्ध है।
- 2002 में COP8 का आयोजन भारत में हुआ।
- इन्हीं सम्मेलनों में 'क्योटो प्रोटोकॉल' (Kyoto Protocol) संधि हुई, जिसे बाद में अमरीका ने निरस्त कर दिया।

जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भारत ने 2008 में जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना का आरम्भ किया जिसके अंतर्गत आठ बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए गए जिनमें सौर ऊर्जा (Solar Energy) का उपयोग, जंगलों, नदियों और पर्वतीय इको-सिस्टम (Eco-system) का संरक्षण जैसे लक्ष्य शामिल किए गए। ध्वनि प्रदूषण पर उचित ध्यान केन्द्रित हो सके इसलिए भारत में इसको वायु प्रदूषण के साथ संलग्न कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित 'जीवन का अधिकार' की व्याख्या को विस्तृत करते हुए इसमें 'स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार' को निहित घोषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 48A तथा 51A में पर्यावरण संरक्षण को सम्मिलित कर इसको कानूनी दर्जा दिया गया है।

प्रयत्न सफ़ल क्यों नहीं हो रहे?

पिछले पचास वर्षों से भी अधिक समय से हो रहे इन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप अब तक पर्यावरण में प्रत्यक्ष सुधार आ जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। प्रदूषण को रोकने के उपायों पर जैसे-जैसे कार्यान्वयन बढ़ रहा है, इसकी स्थिति और गंभीर होती जा रही है।

और कुछ लोग अब यह भी कहने लगे हैं कि यह धरती अब मानव जीवन के लिए उपयुक्त नहीं रह गई है और मानव को किसी अन्य गृह पर अपना स्थान बनाना चाहिए।

आवश्यकता गृह नहीं, अपने अंतःकरण और मनोदृष्टि (outlook) बदलने की है। इस धरती पर यदि सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न हुई है तो इसका ज़िम्मेदार कोई अन्य नहीं, स्वयं इंसान है। जंगली जानवरों ने जंगलों को नहीं काटा है, पक्षियों ने हवा को प्रदूषित नहीं किया है, समुद्र को कचरे से मछलियों ने नहीं भरा है, ग्लेशियरों के पिघलने में पोलर-बेयर की कोई भूमिका नहीं है और जलवायु परिवर्तन के लिए सूर्य और चन्द्रमा को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इन समस्त परिवर्तनों का कारण स्वयं इंसान है और जब तक उसमें परिवर्तन नहीं होगा, वातावरण में सुधार संभव नहीं है।

पर्यावरण की समस्या का मुख्य कारण भौतिक से ज़्यादा मानसिक और नैतिक है। विश्व पर अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करने की होड़, प्राकृतिक संसाधनों का सामरिक उपयोग, अनियमित उद्योगीकरण तथा उद्योगपतियों द्वारा ग़रीबों का घोर शोषण, सम्पन्न देशों का पिछड़े देशों की सम्पति पर अनैतिक क़ब्ज़ा, परमाणु तथा परम्परागत हथियारों के वर्चस्व की जंग आदि कुछ कारण हैं जिन्होंने इस धरती को न सिर्फ़ अशांति और अन्याय से भर दिया है बल्कि पर्यावरण को भी अपूरणीय क्षति पहुंचाई है।

इस स्थिति में आग में घी का काम किया है इंसानों के अन्दर की लोभ और लालसा ने, अपनी भौगोलिक सीमा के बाहर सभी को अपना शत्रु समझने की मानसिकता ने, निरंकुश जीवन व्यतीत करने की प्रवृत्ति ने और सबसे महत्वपूर्ण किसी सर्वोच्च शक्ति के प्रति उत्तरदायी न होने की विकृत आस्था ने। इन पैशाचिक मनोदृष्टि के संचित प्रभाव ने मानव को उद्दंड और असंवदेनशील बना दिया है और उसे भ्रष्टाचार की उस सीमा तक गिरा दिया है जहाँ उसे अपने हित और स्वार्थ के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता।

इंसानों के अन्दर कैंसर की भांति फैलती इन बीमारियों के इलाज के बग़ैर क्या पर्यावरण के संकट पर अंकुश लगाया जा सकता है?

इस्लाम का समाधान

दुनिया की समस्त समस्याओं की भांति इस्लाम के पास पर्यावरण संकट का भी व्यावहारिक, प्रभावी और निश्चित समाधान उपलब्ध है। पर्यावरण संरक्षण के इस्लामी दृष्टिकोण में सर्वप्रथम यह आस्था है कि इस समस्त ब्रह्माण्ड का रचयिता और संचालक कोई अन्य नहीं बल्कि ईश्वर अल्लाह है। उसने इस संसार को पूरी बुद्धिमत्ता और उद्देश्य के साथ रचित किया है।

"हमने आकाशों और धरती को और जो कुछ उन दोनों के मध्य है उसे केवल हक़ के साथ और एक नियत अवधि तक के लिए पैदा किया है।" *(क़ुरआन 46:3)*

अपनी सृष्टि के सतत अस्तित्व के लिए उसने अनगिनत संसाधनों को एक पूर्व निर्धारित और परिगणित मात्रा में संतुलन के साथ धरती में फैला दिया है। इस धरती पर जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि इस संतुलन को बिगाड़ने से बचा जाए।

"और हमने धरती को फैलाया और उसमें अटल पहाड़ डाल दिए और उसमें हर चीज़ नपे-तुले अन्दाज़ में उगाई। और उसमें तुम्हारे गुज़र-बसर के सामान निर्मित किए, और उनको भी जिनको रोज़ी देनेवाले तुम नहीं हो।"

(क़ुरआन 15:19-20)

"उसने आकाश को ऊँचा किया और संतुलन स्थापित किया कि तुम भी तुला में सीमा का उल्लंघन न करो।"

(क़ुरआन 55:7-8)

इंसान ईश्वर का प्रतिनिधि है: इंसान को ईश्वर ने इस धरती पर अपना प्रतिनिधि बनाकर बसने का अवसर दिया है (क़ुरआन 2:30) और उसपर यह उत्तरदायित्व डाला है कि वह इन संसाधनों का कुशल उपयोग करते हुए अपना जीवन यापन करे। सभी इंसान, चाहे वह किसी देश, धर्म या राष्ट्रीयता के हों, आपस में बराबर और भाई-भाई हैं और उनमें संसाधनों पर नियंत्रण का कोई संघर्ष नहीं है। ईश्वर अल्लाह का प्रतिनिधि होने के नाते इंसान को इस धरती पर ईश्वरीय मार्गदर्शन के अनुसार ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसमें तनिक भी उल्लंघन या विद्रोह मानव जीवन के लिए संकट का कारण बनेगा और इस धरती को विनाश के मार्ग पर डाल देगा। (क़ुरआन 30:41)

हर इंसान ईश्वर के समक्ष उत्तरदायी है: अपने आचरण और व्यवहार के लिए हर इंसान ईश्वर अल्लाह के समक्ष उत्तरदायी है और परलोक में उससे उसके हर अच्छे-बुरे कर्मों एवं समस्त संसाधनों के उपयोग/दुरुपयोग का हिसाब लिया जाएगा (क़ुरआन 99:6-8)। दुसरे इंसानों का शोषण और उनके साथ अन्याय, ईश्वर अल्लाह की सृष्टि के साथ बुरा आचरण और यहाँ के संसाधनों पर अपना एकाधिकार जमाकर दूसरों को उससे वंचित करने का प्रयत्न, यह सब परलोक में इंसानों को ईश्वर अल्लाह के प्रकोप का भागी बनाने का कारण बनेगा। उत्तरदायित्व की यह भावना इंसानों के जीवन पर अत्यंत गहरा प्रभाव डालती है, उसमें नैतिकता को जागृत करती है, सादगी और सदाचार उत्पन्न करती है तथा उसे ईश-निर्धारित सीमा में रहकर जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करती है।

पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार का निर्देश: इस्लाम अपने अनुयायिओं में पर्यावरण के प्रति गहरी चेतना जागृत करता है और उन्हें पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार पर उभारकर इसके संरक्षण को

सुनिश्चित करता है। स्वच्छता को एक धार्मिक उत्तरदायित्व का दर्जा देते हुए इस्लाम उसे आधा ईमान बताता है (हदीस)। जल, वायु, मवेशी, फसलें, चारागाह और जंगल आदि बुनियादी पर्यावरणीय तत्वों के दुरुपयोग को इस्लाम में दृढ़ता से रोका गया है। उदाहरणार्थ, मानव जीवन में जल के महत्व को उजागर करते हुए अल्लाह ने उसे हर प्रकार के जीवन का मौलिक स्रोत बताया (क़ुरआन 21:30) और हज़रत मुहम्मद (सल.) ने उसके दुरुपयोग से मना किया चाहे आदमी बहते हुए झरने के पास ही क्यों न हो (हदीस) और उसमें मल-मूत्र त्यागने को वर्जित किया (हदीस)। इसी प्रकार वातावरण को स्वच्छ और हानिहीन बनाए रखने के उद्देश्य से पेड़-पौधे लगाने को प्रोत्साहित करते हुए हज़रत मुहम्मद (सल.) ने इसे पुण्य घोषित किया।

"कोई व्यक्ति यदि पेड़ लगाता है या खेत बोता है और दुसरे इंसान अथवा पशु-पक्षी उससे लाभान्वित होते हैं, तो उसके इस कर्म को पुण्य का दर्जा मिलता है।"

(हदीस)

इस्लाम की इन पर्यावरण-दोस्त शिक्षाओं को कार्यान्वित करते हुए हज़रत मुहम्मद (सल.) और उनके उपरान्त उनके उत्तराधिकारियों ने इसको अपने शत्रुओं के साथ भी निभाने का प्रयत्न किया। उनका आदेश होता था कि, "पेड़ों को मत काटो, नदियों के जल का दुरुपयोग मत करो, खेतों और पशु-पक्षियों को हानि मत पहुँचाओ, अल्लाह के बन्दों के साथ सदा दयालुता और मानवीयता का व्यवहार करो चाहे वह तुम्हारे शत्रु ही क्यों न हों।" (हदीस)

सीधे-सादे जीवन का उपदेश: वातावरण के संतुलन और उसकी उपयोगिता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से बचा जाए। इसीलिए क़ुरआन में अल्लाह ने सीधा-सादा जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हुए कहा,

"फिज़ूलखर्ची मत करो, अल्लाह फिज़ूलखर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता" (क़ुरआन 6:141)

सत्ता के शिखर पर होने के उपरान्त भी हज़रत मुहम्मद (सल.) और उनके उत्तराधिकारियों ने सदा सीधे-सादे जीवन को प्राथमिकता दी। वास्तव में, इस्लाम की नैतिक व्यवस्था हर मुसलमान को जीवन यापन के लिए परिश्रम करने के लिए प्रेरित तो करती है परन्तु कठिन परिश्रम से प्राप्त धन-दौलत को विलासिता के संसाधनों पर व्यय करने से हतोत्साहित भी करती है। इस्लाम में हलाल और हराम का वर्गीकरण भी संसाधनों के अपव्यय से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपव्यय का यह निर्देश मात्र धन-दौलत पर नहीं, धरती पर फ़ैले हुए संसाधनों पर भी लागू होता है और पर्यावरण संरक्षण में इसकी

बड़ी अहम भूमिका है।

वैश्विक भाईचारा: इस्लाम संसार को वर्गों और समूहों में विभाजित कर उनको आपस में लड़ाने का पक्षधर नहीं है। क़बीलों और गिरोहों के अस्तित्व को इस्लाम स्वीकारता है पर मात्र पहचान के लिए, जैसा अल्लाह ने क़ुरआन में वर्णित किया है:

> *"ऐ लोगो! हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और तुम्हें बिरादरियों और क़बीलों का रूप दिया, ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो। वास्तव में अल्लाह के यहाँ तुममें सबसे अधिक प्रतिष्ठित वह है, जो तुममें सबसे अधिक डर रखता है। निश्चय ही अल्लाह सबकुछ जानने वाला, ख़बर रखने वाला है।" (क़ुरआन 49:13)*

> *इस्लाम की दृष्टि में कोई व्यक्ति अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वह दूसरों के लिए भी वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है (हदीस)*

वैश्विक भाईचारे की यह शिक्षा इंसानों की आपसी शत्रुता को समाप्त करती है, पूरी मानवता के लिए सहानुभूति जागृत करती है, लोभ और लालच को वश में करती है तथा सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना के साथ पूरे विश्व को एक इकाई मानकर काम करने पर उभारती है। फलस्वरूप समाज में सौहार्द स्थापित रहता है और पर्यावरण का संतुलन भी। विश्व में पर्यावरण संकट उत्पन्न न हुआ होता यदि पूरी मानवता वैश्विक भाईचारे की लड़ी में पिरोई होती और एक दुसरे के हित को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग करती।

समापन

इस्लाम की उपर्युक्त शिक्षाओं का यदि गहराई से आज के परिपेक्ष में अध्ययन किया जाए तो पर्यावरण-प्रदूषण और उसके संकट को रोकने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से यदि इनपर कार्यान्वयन किया जाए तो अभी भी वर्तमान विश्वव्यापी भयंकर स्थिति को सुधारा जा सकता है। इस्लाम की शिक्षाएं मात्र उपदेश का रूप नहीं रखतीं बल्कि वह समाज और इस संसार को ईश्वर-निर्मित संतुलन की स्थिति में बनाए रखने के लिए क़ानून का दर्जा रखती हैं।

पर्यावरण-संकट दूर करने के जब समस्त उपाय एक के बाद एक विफल होते जा रहे हैं, तो विश्व और मानव हित में इस्लाम के ईश्वरीय समाधान को भी अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए।